भारत सरकार

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

(खेल विभाग)

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *12

उत्तर देने की तारीख 21 जुलाई, 2025

30 आषाढ़, 1947 (शक)

खिलाड़ियों के कल्याण के लिए पहल/योजनाएं

†*12. श्री योगेन्द्र चांदोलिया:

श्रीमती कमलजीत सहरावत:

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा खिलाड़ियों, कोचों/प्रशिक्षकों के समक्ष आ रही चुनौतियों का समाधान करने और खिलाड़ियों के लिए वित्तीय सुरक्षा, प्रशिक्षण अवसंरचना को सुदृढ़ करने और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी सहायता प्रदान करने के लिए कोई पहल की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत खिलाड़ियों को समय पर वित्तीय सहायता और प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(ग) राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली सहित देश में खिलाड़ियों के कल्याण और सहायता संबंधी योजनाओं से गत पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान राज्य / संघ राज्यक्षेत्र-वार कितने खिलाड़ी लाभान्वित हुए हैं;

(घ) राष्ट्रीय खेल परिसंघों (एनएसएफ) को सहायता प्रदान किए जाने संबंधी संशोधित योजना से खिलाड़ियों और कोचों/प्रशिक्षकों के समक्ष आ रही चुनौतियों का समाधान किस प्रकार होता है;

(ङ) सरकार द्वारा लीग संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए किन-किन खेल विधाओं की पहचान की गई है; और

(च) खेल जगत में विश्व की महाशक्ति बनने के दीर्घकालिक लक्ष्य को बढ़ावा देने और 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने में उक्त योजना की क्या भूमिका है?

उत्तर

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री

(डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) से (च) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

"खिलाड़ियों के कल्याण के लिए पहल/योजनाएं" के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री योगेन्द्र चांदोलिया और श्रीमती कमलजीत सहरावत द्वारा दिनांक 21.07.2025 के लिए पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 12 के भाग (क) से (च) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क): जी, हाँ। 'खेल' एक राज्य विषय होने के कारण, खेल अवसंरचना और प्रशिक्षण उपलब्ध कराने की ज़िम्मेदारी राज्य सरकार की है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार के प्रयासों में सहायता करती है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने खिलाड़ियों और कोचों/प्रशिक्षकों के सम्मुख आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए कई उपाय किए हैं, जिनका उद्देश्य इस मंत्रालय की विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों के माध्यम से उनकी वित्तीय सुरक्षा, प्रशिक्षण संबंधी अवसंरचना और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी सहायता को बढ़ाना है, जैसे कि:

- टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम (टी.ओ.पी.एस): इसमें चयनित खिलाड़ियों को मासिक आउट-ऑफ-पॉकेट भत्ता (ओपीए), अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण, कोचिंग, फिजियोथेरेपी, मानसिक कंडीशनिंग और उपकरणों सहित व्यापक सहायता प्रदान की जाती है।

- खेलो इंडिया स्कीम: यह प्रतिभा की पहचान, अवसंरचना विकास, एथलीटों के लिए छात्रवृत्ति और जमीनी स्तर तथा उच्च स्तर दोनों पर कोचिंग सहायता पर केंद्रित है।

- राष्ट्रीय खेल परिसंघों (एएनएसएफ) को सहायता: एथलीटों के प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें उनकी तैयारी के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं शामिल हैं, जैसे पौष्टिक आहार, सप्लीमेंट, उपकरण सहायता, अत्याधुनिक अवसंरचना, आवास, यात्रा सुविधाएं, प्रतिष्ठित कोच/सहायक कर्मचारियों की सेवाएं, वैज्ञानिक और चिकित्सा सहायता, खेल किट आदि। इसके अलावा विदेशों में उनके प्रशिक्षण और भारत एवं विदेश में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में भागीदारी के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है।

- मेधावी खिलाड़ियों को पेंशन हेतु खेल निधि स्कीम में सक्रिय खेल करियर से संन्यास लेने के बाद खिलाड़ियों को ₹12,000/- से ₹20,000/- प्रति माह तक की आजीवन पेंशन के रूप में अतिरिक्त वित्तीय सुरक्षा प्रदान की जाती है। सक्रिय खेल करियर से संन्यास लेने वाले और ओलंपिक खेलों, पैरालंपिक खेलों, विश्व कप, विश्व चैंपियनशिप, एशियाई खेलों, पैरा एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ी इस स्कीम के तहत आजीवन पेंशन के पात्र हैं।

- खिलाड़ियों के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण कार्यक्रम: खिलाड़ियों और उनके परिवारों को आघात, मुश्किल, उपकरण और कार्यक्रम में भागीदारी आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

खिलाड़ियों को मानसिक स्वास्थ्य सहायता प्रदान करना: राष्ट्रीय टीम और व्यक्तिगत दोनों स्तरों पर खेल मनोवैज्ञानिक और मानसिक प्रशिक्षक नियुक्त किए जाते हैं। साई के राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों (एनसीओई) में उच्च-प्रदर्शन विश्लेषक (मनोविज्ञान) या प्रदर्शन विश्लेषक (मनोविज्ञान) सहित एक खेल मनोवैज्ञानिक की उपस्थिति सुनिश्चित की जाती है। ये खेल मनोवैज्ञानिक खिलाड़ियों को

सर्वोत्तम प्रदर्शन के लिए मानसिक प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ-साथ उन्हें भावनात्मक रूप से स्वस्थ रखने के लिए ज़िम्मेदार हैं।

इसके अलावा सरकार ने हाल ही में खेलो इंडिया नीति-2025 की घोषणा की है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ खिलाड़ियों और कोचों/प्रशिक्षकों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के प्रावधान भी हैं।

(ख): सरकार ने विभिन्न स्कीमों के तहत खिलाड़ियों/कोचों को वित्तीय सहायता और प्रोत्साहन राशि का समय पर और पारदर्शी वितरण सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय किए हैं। इनमें से प्रमुख उपायों में वितरण के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) व्यवस्था का कार्यान्वयन और आवेदन आमंत्रित करने की प्रक्रिया को डिजिटल बनाने हेतु ऑनलाइन पोर्टल शामिल हैं, जिससे लाभार्थियों को वित्तीय सहायता/प्रोत्साहन राशि का समय पर और कुशल वितरण सुनिश्चित होता है। इस प्रणाली के तहत, सीधे खिलाड़ियों/कोचों के बैंक खातों में वित्तीय सहायता/समर्थन का अंतरण किया जाता है जिससे विलम्ब नहीं होता है, प्रशासनिक अड़चनें कम आती हैं और यह सुनिश्चित होता है कि लाभ समय पर और कुशल तरीके से इच्छित लाभार्थियों तक पहुँचें।

(ग): विवरण अनुबंध-I पर दिया गया है।

(घ): युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा मई 2025 में राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता (एएनएसएफ) स्कीम में संशोधन अधिसूचित किया गया है। एएनएसएफ के संशोधित मानदंडों की प्रमुख विशेषताएं अनुबंध-II में दी गई हैं।

इन संशोधनों का उद्देश्य एक उच्च-प्रदर्शन पारिस्थितिकी तंत्र का सृजन करना है जो एथलीटों की उत्कृष्टता और कोच सशक्तिकरण को सहायता देता है, साथ ही खेल प्रणाली में वित्तीय और परिचालन पारदर्शिता सुनिश्चित करता है।

(ड.): कई राष्ट्रीय खेल परिसंघ (एनएसएफ) और खेल संगठन क्रिकेट, फुटबॉल, रग्बी, वॉलीबॉल, खो-खो और बास्केटबॉल सहित कई खेलों में पेशेवर और अर्ध-पेशेवर लीग आयोजित कर रहे हैं। ये लीग न केवल जमीनी स्तर पर उभरती प्रतिभाओं की खोज और उन्हें निखारने में मदद करती हैं, बल्कि क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को भी बढ़ावा देती हैं और निजी क्षेत्र की भागीदारी और प्रायोजन को बढ़ावा देती है।

(च): सरकार, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम (टी.ओ.पी.एस) और राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता स्कीम (एएनएसएफ) जैसी स्कीमों के माध्यम से, भारत को एक वैश्विक खेल महाशक्ति के रूप में स्थापित करने और वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों के लिए पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करने के दीर्घकालिक विजन के साथ काम कर रही है। प्रमुख पहलों में निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) टीओपीएस विकास समूह के अंतर्गत 2032 और 2036 के ओलंपिक के भावी पदक संभावितों को संकेंद्रित सहायता प्रदान करना।

(ii) संशोधित एएनएसएफ मानदंडों के अनुसार राष्ट्रीय खेल परिसंघों (एनएसएफ) के बजट का कम से कम 20% जमीनी स्तर के विकास के लिए आवंटित किया जाना अनिवार्य है।

(iii) एनएसएफ को अब बढ़ी हुई वित्तीय सीमाओं के साथ विदेशी कोच और विशेषज्ञों को नियुक्त करने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त, बड़े एनएसएफ में दीर्घकालिक तकनीकी स्कीम का नेतृत्व करने के लिए उच्च प्रदर्शन निदेशकों (एचपीडी) को नियुक्त किया गया है।

(iv) भारत में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं की मेजबानी के लिए वित्तीय सहायता को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

(v) पारदर्शी, विकेंद्रीकृत और समावेशी विकास: संशोधित मानदंडों के अनुसार, राष्ट्रीय खेल परिसंघों को पारदर्शी चयन नीतियाँ पहले से प्रकाशित करनी होंगी और देश भर की अकादमियों के विकेंद्रीकृत विकास को बढ़ावा देना होगा। इसके अतिरिक्त, शिविर के अलावा अन्य अवधियों में एथलीटों के लिए ₹10,000/माह के आहार भत्ते का प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि एथलीट स्थानीय स्तर पर भी प्रशिक्षण मानकों को बनाए रख सकें।

(vi) एकीकृत खेल विज्ञान और चिकित्सा सहायता: प्रशिक्षण के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण को समय-समय पर चिकित्सा मूल्यांकन, चोटों की रोकथाम और खेल विज्ञान निगरानी के लिए उन्नत प्रावधानों के साथ समर्थित किया गया है, जो एथलीटों के निरंतर स्वास्थ्य और सर्वोत्तम प्रदर्शन के लिए आधार तैयार करता है।

*****

अनुबंध-I

"खिलाड़ियों के कल्याण के लिए पहल/योजनाएं" के संबंध में दिनांक 21.07.2025 के लिए पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 12 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

1. **मेधावी खिलाड़ियों को पेंशन हेतु खेल निधि स्कीम के अंतर्गत लाभार्थियों की कुल संख्या।**

	वित्तीय वर्ष						
क्र.सं.	राज्य	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-26
1	पंजाब	6	3	2	3	1	2
2	मध्य प्रदेश	3	0	1	0	0	0
3	तमिलनाडु	1	0	0	2	0	0
4	महाराष्ट्र	5	3	3	3	1	2
5	ओडिशा	1	0	0	2	2	1
6	असम	2	0	0	0	0	0
7	उत्तर प्रदेश	1	1	0	1	1	1
8	पश्चिम बंगाल	1	0	0	1	0	1
9	हरियाणा	6	5	10	6	3	1
10	दिल्ली	1	1	1	2	2	1
11	मणिपुर	1	0	0	1	0	0
12	झारखंड	1	0	0	0	0	0
13	कर्नाटक	1	3	1	0	3	0
14	केरल	3	8	0	0	2	1
15	हिमाचल प्रदेश	0	1	0	0	0	1
16	आंध्र प्रदेश	0	1	1	0	0	1
17	राजस्थान	0	0	1	1	0	0
18	तेलंगाना	0	0	0	1	1	0
19	मनाली	0	0	0	0	1	0
20	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	1
21	कुल	33	26	20	23	17	13
22	लाभार्थियों की संख्या	33	26	20	23	17	13
	कुल योग	132					

2. पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय खिलाड़ी कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत कुल लाभार्थी।

		वित्तीय वर्ष				
क्र.सं.	राज्य	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025
1	दिल्ली	7	5	7	4	0
2	आंध्र प्रदेश	2	0	1	0	3
3	उत्तर प्रदेश	5	7	7	6	7
4	हरियाणा	7	8	5	14	12
5	पश्चिम बंगाल	1	3	3	4	0
6	राजस्थान	2	0	0	2	2
7	बिहार	1	4	1	0	0
8	मणिपुर	2	4	0	0	0
9	महाराष्ट्र	2	6	7	6	2
10	झारखंड	2	2	1	0	0
11	कर्नाटक	2	6	2	0	1
12	पंजाब	2	3	1	1	0
13	जम्मू एवं कश्मीर	1	1	4	2	1
14	मध्य प्रदेश	1	1	1	0	2
15	छत्तीसगढ	1	2	2	0	0
16	असम	0	1	1	1	0
17	गुजरात	0	1	0	0	0
18	तमिलनाडु	0	1	3	3	5
19	बैंगलोर	0	0	1	0	0
20	केरल	0	0	1	0	0
21	हिमाचल प्रदेश	0	0	2	0	2
22	अरुणाचल प्रदेश	0	0	1	0	2
23	उत्तराखंड	0	0	1	0	0
24	पुणे	0	0	1	0	0
25	चंडीगढ़	0	0	1	0	0
26	ओडिशा	0	0	0	1	0
27	तेलंगाना	0	0	0	1	0
कुल		38	55	54	45	39
कुल योग		231				

3. टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के अंतर्गत लाभार्थी।

क्र.सं.	राज्य का नाम	एथलीटों की संख्या
1	अंडमान और निकोबार	0
2	आंध्र प्रदेश	4
3	अरूणाचल	0
4	असम	5
5	बिहार	1
6	चंडीगढ़	4
7	छत्तीसगढ	3
8	दिल्ली	22
9	गोवा	1
10	गुजरात	10
11	हरियाणा	121
12	हिमाचल	1
13	जम्मू एवं कश्मीर	2
14	झारखंड	10
15	कर्नाटक	19
16	केरल	12
17	मध्य प्रदेश	12
18	महाराष्ट्र	33
19	मणिपुर	13
20	मेघालय	1
21	मिजोरम	2
22	ओडिशा	12
23	पंजाब	35
24	राजस्थान	21
25	सिक्किम	1
26	तमिलनाडु	25
27	तेलंगाना	13
28	त्रिपुरा	1
29	उत्तर प्रदेश	23
30	उत्तराखंड	9
31	पश्चिम बंगाल	11

4. **खेलो इंडिया स्कीम के अंतर्गत लाभान्वित/वित्तीय सहायता प्रदान किए गए एथलीटों का विवरण (वर्ष-वार एवं राज्य-वार):**

खेलो इंडिया स्कीम के अंतर्गत केआईए को राज्यवार एवं वर्षवार वित्तीय सहायता/छात्रवृत्ति								
क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**2025-26 (Q1)**	**2024-25**	**2023-24**	**2022-23**	**2021-22**	**2020-21**	**2019-20**
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	**4**	**4**	**3**	**3**	**6**	**8**	**7**
2	आंध्र प्रदेश	**57**	**63**	**49**	**55**	**43**	**56**	**40**
3	अरुणाचल प्रदेश	**17**	**16**	**14**	**11**	**9**	**12**	**9**
4	असम	**53**	**42**	**39**	**43**	**54**	**45**	**36**
5	बिहार	**17**	**14**	**14**	**9**	**8**	**10**	**12**
6	चंडीगढ़	**34**	**34**	**30**	**40**	**39**	**46**	**33**
7	छत्तीसगढ	**31**	**37**	**45**	**35**	**44**	**30**	**22**
8	दमन दीव और दादरा नगर हवेली	**2**	**3**	**3**	**2**	**1**	**4**	**1**
9	दिल्ली	**140**	**156**	**163**	**199**	**212**	**254**	**195**
10	गोवा	**4**	**6**	**10**	**18**	**16**	**18**	**16**
11	गुजरात	**68**	**64**	**65**	**81**	**67**	**104**	**106**
12	हरियाणा	**497**	**490**	**467**	**432**	**392**	**438**	**375**
13	हिमाचल प्रदेश	**32**	**30**	**28**	**34**	**33**	**26**	**19**
14	जम्मू एवं कश्मीर	**14**	**17**	**19**	**20**	**30**	**20**	**13**
15	झारखंड	**51**	**54**	**47**	**40**	**24**	**27**	**27**
16	कर्नाटक	**160**	**157**	**138**	**136**	**144**	**159**	**173**
17	केरल	**114**	**94**	**108**	**103**	**109**	**126**	**131**
18	लद्दाख	**1**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**
19	लक्षद्वीप	**1**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	मध्य प्रदेश	**97**	**109**	**114**	**100**	**109**	**54**	**72**
21	महाराष्ट्र	**303**	**325**	**347**	**365**	**415**	**347**	**365**
22	मणिपुर	**116**	**109**	**105**	**126**	**189**	**255**	**203**
23	मेघालय	**4**	**5**	**2**	**3**	**13**	**6**	**12**
24	मिजोरम	**15**	**10**	**15**	**28**	**25**	**39**	**26**
25	नागालैंड	**1**	**2**	**1**	**1**	**0**	**5**	**0**
26	ओडिशा	**81**	**77**	**70**	**57**	**66**	**47**	**53**
27	पुदुचेरी	**8**	**5**	**7**	**7**	**6**	**13**	**6**

28	पंजाब	**144**	**159**	**169**	**179**	**161**	**158**	**188**
29	राजस्थान	**155**	**137**	**105**	**81**	**108**	**137**	**95**
30	सिक्किम	**0**	**1**	**1**	**2**	**6**	**9**	**3**
31	तमिलनाडु	**190**	**199**	**173**	**167**	**101**	**94**	**92**
32	तेलंगाना	**58**	**72**	**59**	**51**	**55**	**132**	**60**
33	त्रिपुरा	**3**	**5**	**5**	**8**	**11**	**23**	**9**
34	उत्तर प्रदेश	**176**	**190**	**186**	**191**	**186**	**139**	**159**
35	उत्तराखंड	**49**	**45**	**32**	**40**	**53**	**94**	**69**
36	पश्चिम बंगाल	**111**	**112**	**118**	**91**	**81**	**95**	**83**
कुल		**2808**	**2845**	**2752**	**2759**	**2816**	**3030**	**2711**

अनुबंध – II

"खिलाड़ियों के कल्याण के लिए पहल/योजनाएं" के संबंध में दिनांक 21.07.2025 के लिए पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 12 के भाग (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

राष्ट्रीय खेल परिसंघों (एएनएसएफ) को सहायता स्कीम के अंतर्गत चुनौतियों से निपटने हेतु प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:

(i) बेहतर एथलीट सहायता अवसंरचना:

- बेहतर अवसंरचना, खेल विज्ञान सहायता और प्रशिक्षण सुविधाओं के साथ राष्ट्रीय कोचिंग शिविरों के आयोजन के लिए वित्तीय सहायता में वृद्धि।
- तैयारी की गुणवत्ता और खिलाड़ियों के स्वास्थ्य में सुधार के लिए विदेशी कोच, खेल वैज्ञानिकों, मनोवैज्ञानिकों और मानसिक प्रशिक्षकों की नियुक्ति में सहायता।

(ii) कोच की वित्तीय सुरक्षा और मान्यता पर फोकस:

- कोच और सहयोगी कर्मचारियों के पारिश्रमिक की अधिकतम सीमा में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है, मुख्य कोच के लिए पारिश्रमिक सीमा ₹3 लाख से बढ़ाकर ₹7.5 लाख प्रति माह कर दी गई है।
- राष्ट्रीय शिविरों में शामिल होने वाले सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत कोच को ₹1 लाख प्रति माह का अव्यवस्था भत्ता प्रदान किया जाता है, जिससे उचित पारिश्रमिक और शीर्ष प्रतिभाओं का प्रतिधारण सुनिश्चित होता है।

(iii) संरचित और पारदर्शी चयन प्रक्रिया:

- अब राष्ट्रीय खेल परिसंघों (एनएसएफ) को एथलीट और कोच चयन नीतियों को काफी पहले (महाद्वीपीय/विश्व प्रतिस्पर्धाओं के लिए एक वर्ष और ओलंपिक/एशियाई खेलों के लिए दो वर्ष) प्रकाशित करना आवश्यक है, जिससे चयन में पारदर्शिता और पूर्वानुमेयता को बढ़ावा मिलता है।

(iv) जमीनी स्तर और जूनियर स्तर के विकास पर अधिक जोर:

- राष्ट्रीय खेल परिसंघों (एनएसएफ) को अपने वार्षिक बजट का कम से कम 20% अपने सहयोगियों के माध्यम से जमीनी स्तर के विकास के लिए निर्धारित करना होगा, जिससे जूनियर स्तर से प्रतिभाओं की पहचान और प्रगति सुनिश्चित हो सके।
- समर्पित जूनियर विकास कार्यक्रमों की देखरेख एनएसएफ-स्तरीय समितियों द्वारा की जाएगी, जिन्हें अन्य मंत्रालय की योजनाओं के साथ समन्वय के माध्यम से समर्थन दिया जाएगा।

(v) खेल विज्ञान और पोषण सहायता:

- चिकित्सा मूल्यांकन, आहार और वैज्ञानिक निगरानी के लिए वित्तीय सहायता बढ़ा दी गई है (उदाहरण के लिए, आहार शुल्क में वृद्धि, गैर-शिविर अवधि के दौरान संभावित खिलाड़ियों के लिए ₹10,000 का मासिक भत्ता)।
- प्रशिक्षण भार, चोटों और रिकवरी पर नज़र रखने के लिए केंद्रीकृत आईटी पोर्टल अनिवार्य कर दिया गया है।

(vi) क्षमता निर्माण और ज्ञान विस्तार:

- घरेलू कोच और तकनीकी कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए कोचिंग शिक्षा विशेषज्ञों की अनिवार्य नियुक्ति और विदेशी विशेषज्ञों का योगदान, जिससे दीर्घकालिक संस्थागत क्षमता का निर्माण हो सके।

****